राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	251/2020 मन्नालाल बनाम मोहन हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 379/2020 हरफूल मोहन	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/11/2025	पत्रावलीयां प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन करते हुए अपील संख्या 251/2020 एवं 379/2020 का इकजाई रूप से बहस समायत करते हुए निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अत: पत्रावली संख्या 251/2020 एवं 379/2020 निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 01/12/2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
01/12/2025	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12/07/2019 पारित करते हुए तहसीलदार शाहपुरा को विवादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में अभिलिखित सहखातेदारों के हिस्से के रकबे का निर्धारण मौके पर कब्जा एवं पक्के निर्माण कार्य को दृष्टिगत रखते हुए खातेदारों के आवागमन के लिए रास्तो की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए नगरपालिका व एनएचएआई का खाता पृथक-पृथक बनाते हुए सरस-नरस के आधार पर बंटवारानामा की कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये, जिसकी पालना में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 23/07/2020 पारित की गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी हरफूल ने अपील संख्या 379/2020 एवं अपीलार्थीगण मन्नाराम, रामचन्द्र, रामकिशोर, बाबूलाल. सोनी देवी ने अपील संख्या 251/2020 ने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर दोनों अपीलों पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवदन करते हुए अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री का प्रश्न है तो इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय आपत्ति प्रार्थना पत्र एवं अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत समस्त आपत्तियो को विवेचित कर निस्तारित किये बगैर ही आपत्तियो का सरसरी तौर पर निस्तारण करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है, जो विधिसम्मत जाहिर नही होता है। सहखातेदारान के मध्य विभाजन हेतु प्रस्तुत वाद राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मन्नालाल बनाम मोहन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	में अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व प्रस्तुत की गयी समस्त आपत्तियो का परिक्षण/विवेचन कर ही विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित की जानी आवश्यक होती है किन्तु ऐसा नही कर सरसरी तौर पर आपत्तियो का निस्तारण करते हुये अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी किया जाना जाहिर होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 23/07/2020 विधिसम्मत प्रतीत नही होने से निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्राप्त आपत्तियो का विस्तुत परिक्षण/विवेचन करते हुये उनका विधिवत निस्तारण करते हुये विधिसम्मत अन्तिम निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे। तदनुसार अपीले क्रमश: 379/2020 एवं 251/2020 स्वीकार की जाती है। पत्रावलीयां फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय जयपुर	19/2